

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विषय-अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	श्री सुमन रमन, व्याख्याता-अर्थशास्त्र, श्री रामकरण जोशी राउमावि, दौसा	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1 (23-02)RPSC/Appt/HRD/2022/1673 दिनांक: 01.12.2022
2	श्री सुखदेव देवासी, व्याख्याता-अर्थशास्त्र, राउमावि आना देसूरी, पाली	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1 (23/02)RPSC/Appt/HRD/2022/1673 दिनांक: 01.12.2022
3	श्री चैनसुख कोठारी, व्याख्याता-समाजशास्त्र राउमावि डेलाना, सहाड़ा, भीलवाड़ा (214784)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1 (23-21)RPSC/Appt/HRD/2022/1672 दिनांक: 01.12.2022
4	श्री विजय सिंह, व्याख्याता-समाजशास्त्र राउमावि बड़ोपल बरानी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1 (23-21)RPSC/Appt/HRD/2022/1672 दिनांक: 01.12.2022

विभाग छोड़ने के बाद उक्त प्राध्यापक का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है तो उनका वर्तमान धारित पद पर लियन नहीं रहेगा साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

(गौरव अग्रवाल)

आई०ए०एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 12/12/2022

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/18-19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. संबंधित प्रधानाचार्य को पाबंद किया जाता है कि विभागीय नियमानुसार कार्मिक से विभाग के प्रति किसी प्रकार का बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने पश्चात ही कार्यमुक्त किया जावें।
4. संबंधित कार्मिक।
5. निस्टम एनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर